V-190
Cr.j.(E)

SUMMARY TRIAAAL UNDER SECTION 286 OF BHARTIYA NAGRIK SURAKSHA SANHITA, 2023

(सुश्री पारुल गोहिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बदनावर, जिला धार (म.प्र.)

In the court--------- 4 --------- Magistrate ---------- F ---------- Class---- I ----------

Case No.-- ---- 483/26 ------------------- Complaint or report made on ---------------------------

Name and address of the complainant .... आरक्षी केन्द्र / **आबकारी वृत्त बदनावर सर्कल–ए**

Name, parentage, caste and address of accused

सुरेश पुत्र कालूराम मण्डलोई जाति
आयु 35 35 वर्ष नि. करनपुरा P.S.
बदनावर

The office complained of, and date of, its alleged commission- तुमने दिनांक 25.07.2026 को समय 11.00 AM स्थान जाबड़ा खाना का ढाबा में लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में 10 पाव प्लेन देशी शराब को बिना बैध अनुज्ञपत्ति के रखी जो धारा–34(1–क) आबकारी अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया।

इस प्रकार आपका उक्त म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 34 के तहत् दंडनीय अपराध है जो इस न्यायालय के संज्ञान मे है। अतः प्रकट करो कि उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो ?

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बदनावर जिला धार (म.प्र.)

(सुश्री पारुल गोहिया)
न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी,
बदनावर, जिला धार (म.प्र.)
18 AUG 2026

The plea of the accused and his examination (if any)-
अपराध स्वीकार है।

सुरेश

(सुश्री पारुल गोहिया)
न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी धार,
बदनावर, जिला धार (म.प्र.)
18 AUG 2026

The office proved, if any, and in case under clause (d), clause (e), Clause (f) or clause (g), or subsection (i) of section 283, the value of the property of which the offence has been committed.

GRPI426-10L-28M-11-96

–:: नि र्ण य ::–

(आज दिनांक 18.08.2026 को घोषित किया गया)

1– प्रकरण में अभियुक्त/~~अभियुक्तगण~~ सुरेश वल्द कालूराम मण्डलोई ....

स्वेच्छिक स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) (क) के तहत् दंडनीय अपराध में दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

2– अभियुक्त के विरूद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धी अभिकथित नही है। उसका प्रथम अपराध होना व अपराध के स्वरूप को देखते हुये आरोपी को कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः आरोपी को धारा आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) (क) के अपराध मे न्यायालय उठने तक की सजा एवं रूपये 900/- अर्थदंड के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने के व्यतिक्रम में अभियुक्त को 10 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जाये।

3– प्रकरण मे जप्तशुदा मुद्देमाल 10 पाव देशी प्लेन शराब अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा नष्ट की जाये एवं अपील होने की दशा में उसका निराकरण माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार किया जाये।

4– प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

(सुश्री पारूल गोहिया)
न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी,
बदनावर,-जिला धार (म.प्र.)
18 AUG 2026

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(सुश्री पारूल गोहिया)
न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी,
बदनावर, जिला धार (म.प्र.)
18 AUG 2026